न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—श्री मूलचन्द लूणिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—13/2020 दिनांकः—24.11.2020

1. आमीन खां पुत्र सुभान खां
2. जन्नत बानो पत्नी नियाज मोहम्मद
3. समशेर खां पुत्र नियाज मोहम्मद
4. अफरीन बानो
5. अमरीन बानो पुत्रियां नाबालिग स्व. नियाज मोहम्मद जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता जन्नत बानो पत्नी नियाज मोहम्मद
6. आमना बानो पुत्री नियाज मोहम्मद समस्त जाति कायमखानी निवासीगण ग्राम कायमसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र हरिराम
2. गिरधारीलाल पुत्र हरिराम
3. ताराचन्द पुत्र हरिराम
4. दानाराम पुत्र हरिराम
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरिराम
6. तारामणी पुत्री हरिराम
7. विमला पुत्री हरिराम
8. भगवानी पुत्री हरिराम
9. मोहनी देवी पत्नी हरिराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
10. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
11. पटवारी पटवार हल्का ताखलसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत रिकॉर्ड संशोधन

—:निर्णयः—

उपस्थिति अधिवक्ताः—श्री मुकेश भातरा (वादी की ओर से)
श्री दिनेश कुमार नागौरा (प्रतिवादीगण की ओर से)

वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नारसरा हरदयालपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी के तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 92/1(पुराना) जिसके वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 125 रकबा 1.42 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 126 रकबा 1.80 हैक्टेयर है। वादीगण के पूर्वज सुभान खां द्वारा उक्त मूल खसरा नम्बर 92/1 में सें 5 बीघा 12 बिस्वा पुख्ता दक्षिणी तरफ की भूमि दिनांक 18.06.1986 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की जाकर मौके पर उक्त विक्रेतागण की धारित दक्षिणी भूभाग का वास्तविक व भौतिक आधिपत्य प्राप्त किया गया। वादीगण के पूर्वज सुभान खां क्रय के पश्चात् अपने जीवन काल तक खसरा नम्बर 92/1 के दक्षिणी भूभाग पर काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:24:42 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

काश्त करते रहे एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण उक्त दक्षिणी भूभाग पर काबिज काश्त करते चले आ रहें है। मूल खसरा नम्बर 92/1 के पूर्व खातेदार से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के पूर्वज हरिराम द्वारा भी उत्तरी तरफ की 7 बीघा 2 बिस्वा पुख्ता भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 01.07.1974 के माध्यम से क्रय की जाकर क्रेता द्वारा धारित उत्तरी तरफ की भूमि भाग का मौके पर वास्तविक व भौतिक आधिपत्य प्राप्त किया गया तथा प्रतिवादीगण के उक्त पूर्वज हरिराम अपने जीवन काल तक प्रश्नगत भूमि के उत्तरी तरफ के भूभाग पर काबिज काश्त करते रहे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 उत्तरी तरफ की 7 बीघा 2 बिस्वा पुख्ता भूमि भाग पर काबिज काश्त चले आ रहें है। उक्त तथ्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विक्रय पत्रों से भी भली भांति प्रमाणित होते है।

वर्तमान में उक्त मूल खसरा नम्बर 92/1 के नवीन खसरा नम्बर 125 व 126 अंकित किये गये। वादीगण की भूमि भाग के नवीन खसरा नम्बर 125 रकबा 1.42 हैक्टेयर एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 की भूमि भाग का खसरा नम्बर 126 रकबा 1.80 हैक्टेयर है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खसरा नम्बर 125 रकबा 1.42 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 तर 09 के नाम अंकित है। लेकिन वर्तमान नवीन नक्शा ट्रेश में गलत रूप से तरमीम की जाकर वादीगण की धारित दक्षिणी भू भाग में प्रतिवादीगण की भूमि के खसरा नम्बर 126 एवं प्रतिवादीगण की धारित उत्तरी तरफ की भूमि भाग में खसरा नम्बर 125 दर्शित कर दिये गये जो मौके की स्थिति के वितरीत है। इसके कारण वादीगण वर्तमान नक्शा ट्रेश में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करवाकर दक्षिण तरफ की भूमि भाग पर खसरा नम्बर 125 एवं उत्तरी तरफ के भूमि भाग पर प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 126 अंकित करवाने के वैध अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम नारसरा हरदयालपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी के तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 92/1(पुराना) जिसके वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 125 रकबा 1.42 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 126 रकबा 1.80 हैक्टेयर के वर्तमान नवीन नक्शा ट्रेश में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करवाया जाकर वर्तमान नक्शा ट्रेश में दक्षिणी तरफ अंकित खसरा नम्बर 126 के स्थान पर वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 125 एवं उत्तरी तरफ अंकित खसरा नम्बर 125 के स्थान पर खसरा नम्बर 126 अंकित करवाया जाना प्रार्थनीय है तथा रकबा भी उसी अनुसार दर्शित करवाया जाना प्रार्थीनीय है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 की ओर से अधिवक्ता ने जबाब दावा पेश किया। वादी संख्या 01 तथा प्रतिवादी संख्या 01, 03, 05 ने स्वयं उपस्थित अदालत होकर राजीनामा पेश किया। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई।

वादीगण ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात यथा मिलान क्षेत्रफल ग्राम नारसरा हरदयालपुरा, जमाबंदी सम्वत 2074–77 खसरा नम्बर 126, जमाबंदी सम्वत 2074–77 खसरा नम्बर 125, नक्शा ट्रेश खसरा नम्बर 125 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:24:42 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी
Scanned with CamScanner

126, प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के पूर्वज हरिराम पुत्र सुरजाराम द्वारा क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री एवं संलग्न नक्शे की प्रति, वादीगण के पूर्वज सुभान खां पुत्र हमीद खां द्वारा क्रय की गई रजिस्ट्री एवं संलग्न नक्शे की प्रति, वोटर आई. डी. की प्रति, आधार कार्ड की प्रति की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम नारसरा हरदयालपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी के तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 92/1(पुराना) जिसके वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 125 रकबा 1.42 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 126 रकबा 1.80 हैक्टेयर के वर्तमान नवीन नक्शा ट्रेश में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करवाया जाकर वर्तमान नक्शा ट्रेश में दक्षिणी तरफ अंकित खसरा नम्बर 126 के स्थान पर वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 125 एवं उत्तरी तरफ अंकित खसरा नम्बर 125 के स्थान पर खसरा नम्बर 126 अंकित करवाया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने भी कथन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई आपति नही है। उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रार्थनीय है।

बहस पर मनन किया गया। संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न रजिस्ट्री की प्रतियों से साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के पूर्वज हरिराम पुत्र सुरजाराम ने दिनांक 01.07.1974 को खसरा नम्बर 92 में सें 7 बीघा 2 बिस्वा जमीन उत्तर साईड में जरिये रजिस्ट्रड क्रय की गई थी तथा शेष 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज सुभान खां पुत्र हमीद खां ने दिनांक 18.06.1986 को क्रय कर ली गई थी। भू–प्रबंधन विभाग(मिशल बंदोबस्त) के द्वारा खसरा नम्बर 92/1 के नये खसरा नम्बर 125 व 126 बनाये गये। लेकिन नक्शा ट्रेश में सहवन से वादीगण को खसरा नम्बर 125 रकबा 1.42 हैक्टेयर को उत्तर दिशा में तथा प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 126 रकबा 1.80 हैक्टेयर दक्षिण दिशा में दर्शित कर दिया गया है। जबकि प्रतिवादीगण के पूर्वज हरिराम ने उत्तर दिशा में तथा वादीगण के पूर्वज सुभान खां ने दक्षिण दिशा में भू–भाग क्रय किया था। तहसीदार रामगढ़ शेखावाटी के पत्र क्रमांक–भू.अ./20/5074 दिनांक 02.11.2020 द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट से भी साबित होता है कि वादीगण का कब्जा दक्षिणी दिशा में तथा प्रतिवादीगण का कब्जा उत्तरी दिशा में हमेशा से रहा था एवं वर्तमान में भी इसी अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त है। वादी संख्या 01 तथा प्रतिवादी संख्या 01, 03, 05 ने भी राजीनामा पेश कर कथन किया कि पुराना खसरा नम्बर 92/1 के नया खसरा नम्बर 125 रकबा 1.42 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 126 रकबा 1.80 हैक्टेयर के वर्तमान नवीन नक्शा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरस्त किया जाकर वर्तमान नक्शा ट्रेस में दक्षिणी तरफ अंकित खसरा नम्बर 126 के स्थान पर वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 125 एवं उत्तरी तरफ प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 खसरा नम्बर 125 के स्थान पर खसरा नम्बर 126 किया जाना प्रार्थनीय है। प्रतिवादीगण ने जबाब दावे में अनापति जाहिर की है। इसलिये वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:24:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

—:आदेश:—

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम नारसरा हरदयालपुरा के खसरा नम्बर 125 रकबा 1.42 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 126 रकबा 1.80 हैक्टेयर कुल रकबा 3.22 हैक्टेयर की वर्तमान प्रविष्ठि निरस्त की जाकर उत्तर दिशा में स्थित खसरा नम्बर 125 रकबा 1.80 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को प्रत्येक को 1/9—1/9 हिस्सा भूमि भाग का खातेदार काश्तकार तथा दक्षिण दिशा मे स्थित खसरा नम्बर 126 रकबा 1.42 हैक्टेयर में वादी संख्या 01 को 6/7 हिस्सा भूमि भाग एवं वादी संख्या 02 ता 06 को प्रत्येक को 1/35—1/35 भूमि भाग का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी
रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:24:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner